



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 51

संख्या: 66

प्रभात

कोटा, शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

‘अगर केरल में जीतना है तो वेणुगोपाल को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर वहाँ भेजो’

कांग्रेस में यह आवाज जोरों से उठ रही है, पर, सवाल यह है कि यह मांग वेणुगोपाल को गौरवान्वित कर रही है या उनकी खिल्ली उड़ा रही है?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जंग का माहौल है, अगर पार्टी को केरल में जीतना है तो के.सी. वेणुगोपाल को केरल भेजो बतौर पीसीसी अध्यक्ष, अन्यथा वाम मोर्चा राज्य में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ सकता है!!

क्या यह चुटकी ली जा रही है, क्योंकि पार्टी के कई गुट चाहते हैं कि वेणुगोपाल, एआईसीसी से और कांग्रेस की सत्ता से बाहर हो जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद को पार्टी का निर्विवाद राजा बना लिया है, उन्हें राहुल गांधी के वीडो के साथ और उनका पूरा विश्वास और समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा के.सी. वेणुगोपाल को सौंप दिया है और इससे कांग्रेस के कई नेताओं को भारी नाराजगी है, जो महसूस करते हैं कि वेणुगोपाल अपनी मर्जी से काम करते हैं और पार्टी के हित को ध्यान में नहीं रखते।

- अधिकतर नेतागण वेणुगोपाल को केरल इसलिए भेजना चाहते हैं, जिससे ए.आई.सी.सी. में घुटन कम हो।
- वेणुगोपाल पर राहुल गांधी को इतना “भरोसा” है, कि जब तक वेणुगोपाल की मोहर नहीं लगती ए.आई.सी.सी. में कोई काम नहीं होता।
- अच्छे-अच्छे नेता भी इस कथन की सत्यता से पूरी तरह वाकिफ हो गए हैं तथा उन्हें वेणुगोपाल के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ता है। यहाँ तक कि राहुल के नज़दीकी व विश्वासपात्र अजय माकन भी अब वेणुगोपाल के साथ मिलकर काम करने में ही अपनी भलाई देख रहे हैं।
- वेणुगोपाल ने हर राज्य में एक अपना मनपसंद प्रभारी नियुक्त कर रखा है और ये प्रभारी वेणुगोपाल के मन के अनुरूप राज्य में कांग्रेस को चलाते हैं।

कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने के.सी. वेणुगोपाल के आगे समर्पण कर दिया है, और वे उनके आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते

हैं कि राहुल गांधी तक पहुँचने का रास्ता के.सी. वेणुगोपाल के माध्यम से ही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के एक वफादार और करीबी साथी अजय

माकन, जो एआईसीसी के कोषाध्यक्ष हैं, को भी किसी निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने से पहले वेणुगोपाल से मिलना पड़ता है।

क्योंकि राहुल ने माकन को कह दिया है कि उन्हें वेणुगोपाल से बात करनी चाहिए।

के.सी. वेणुगोपाल और अजय माकन ने इंदिरा भवन से काम करने का निर्णय लिया है, बजाय 24 अक्टूबर रोड के।

क्यों, जबकि कोई कार्यक्रम इंदिरा भवन तक पहुँच ही सकता और किसी नेता से मिल भी नहीं सकता? इसका उत्तर एक पुराने कांग्रेस विश्लेषक से मिला, जो कहते हैं कि माकन व वेणुगोपाल चाहते हैं कि सार्वजनिक संपर्क, जितना संभव हो सके, कम रखा जाए।

और बाकी महासचिव और राज्य प्रभारी का क्या, वे पार्टी कार्यालय क्यों नहीं आते और वहाँ से काम क्यों नहीं करते?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘महबूबा ने भी एक महिला का बुर्का उतरवाया था’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, “लोग शायद इस बात को भूल गये हों कि महबूबा मुफ्ती ने एक वैध मतदाता का बुर्का एक मतदान केन्द्र के अंदर हटवाया था। यह उसी मानसिकता की निरंतरता है।” उमर, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिजाब विवाद पर आलोचना करने वाले पहले नेताओं में से थे, ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी महबूबा पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक साम्प्रदायिक पार्टी के सहयोगी के रूप

- जम्मू कश्मीर के मु.मंत्री उमर अब्दुल्लाह ने याद दिलाया कि मतदान केन्द्र में महबूबा मुफ्ती ने वोट डालने आई एक महिला का बुर्का उतरवाया था।

में एक महिला डॉक्टर का बुर्का हटाकर, “अपना असली रंग दिखा रहे हैं।” अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि यह ट्रेंड महबूबा ने ही शुरू किया था। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2004 के चुनावों के दौरान, मुफ्ती ने एक महिला का बुर्का उड़ाया था। जब इसके लिए उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने कहा था कि वह मतदाता की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि बुर्के का इस्तेमाल अक्सर झूठे वोट डालने के लिए किया जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नारी सशस्त्रीकरण का नारा अति प्रचलित है आजकल राजनीति में’

प्रशांत किशोर ने डेढ़ घंटे की मुलाकात में प्रियंका गांधी को यह “नेक” सलाह दी कि उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस की राजनीति में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से हाल ही में हुई मुलाकात दरअसल सिर्फ इतना ही दर्शाती है कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक कांग्रेस के साथ संभावना एवं अवसर की एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं।

नई दिल्ली में दोनों नेताओं की डेढ़ घंटे की इस मीटिंग के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई कि किशोर ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदले जन सुराज पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जेएसपी के सूत्रों ने ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीके खुद को इस तरह कम करके नहीं आँकते।

हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में कांग्रेस और जन सुराज पार्टी, दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने जिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वह सिर्फ छह पर जीत हासिल कर सकी, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जबा हो गई। संभवतः दो पराजित दलों

- प्रशांत किशोर का मानना है कि राजनीति में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं. अतः कुछ समय बाद, कालांतर में कांग्रेस की स्थिति में सुधार अवश्य होगा और वे कांग्रेस के लिए अवैतनिक (फ्री) सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं।

- जैसा कि विदित ही है, बिहार चुनाव में दोनों पार्टियों, कांग्रेस व प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, की बहुत खराब हालत हुई थी। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा केवल छः सीटों पर ही जीत पाई तथा जन सुराज पार्टी 236 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा सभी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई थी।

- प्रशांत किशोर सदा राहुल से ज्यादा प्रियंका के नज़दीक थे तथा 2017 के यू.पी. के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तैयार करते समय, उन्होंने प्रियंका गांधी को मु.मंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की राय दी थी।

- प्रियंका भी काफी इच्छुक थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस जाँइन कर लें।
- अब प्रियंका गांधी से मुलाकात करके प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए एक खिड़की खोल ली है।

का विलय बिहार में या कहीं भी कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बोतलबंद पानी की अशुद्धता की याचिका शहर केन्द्रित सोच का प्रतीक’

सी जे आई ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए “लगज़री” मुकदमा और अमीरों की चोंचलेबाजी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को नकारते हुए कहा कि भारत की बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बुनियादी पेयजल तक से वंचित है। कोर्ट ने इस याचिका को “लगज़री मुकदमा” करार देते हुए, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार तक करने से इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच, सारंग वामन यादवड़कर द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि देश में बिकने वाला पैकेज्ड पानी विकसित

- याचिकाकर्ता की वकील अनिता शेनॉय ने कहा कि यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और उपभोक्ता को स्वच्छ व शुद्ध बोतलबंद पानी मिलना चाहिए और इसमें डबल्यू एच ओ के मानकों का पालन होना चाहिए
- चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिका पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, जब गांधी जी भारत लौटे थे, तो गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में गए थे. याचिकाकर्ता से कहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाए और देखे कि लोग पीने का पानी पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, तब उसे समझ आएगा, असली भारत की तकलीफ क्या है।

देशों के मानकों, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक शामिल है, के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने पैकेज्ड पानी के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने और फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड

अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ एस एस ए आई) के तहत बोतलबंद पानी के नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आदेश देने की मांग की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट में लोक अदालत आज

जयपुर, 18 दिसंबर। राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब लोक अदालत की शुरुआत दोपहर 3.30 बजे से होगी। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इसी तरह

- राजीनामा करने के लिए जयपुर व जोधपुर में तीन-तीन बेंच बनाई गई हैं।

जोधपुर में जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी इसकी शुरुआत करेंगे।

जयपुर पीठ में मुकदमों के आपसी राजीनामे के जरिये निपटारे के लिए तीन बेंच बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता मौजूदा न्यायाधीश प्रवीर भटनागर, जस्टिस संदीप तनेजा और जस्टिस बिपिन गुप्ता करेंगे। वहीं, इनमें सदस्यों के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एसके गुप्ता, महेंद्र शाह और अजय कुमार बाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीति आयोग के पूर्व कर्ताधर्ता अमिताभ कांत सरकार से इतने रुष्ट क्यों हैं?

अमिताभ कांत की पीड़ा यह है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के नाम पर नये-नये मापदंड लाए जा रहे हैं, एम.एस.एम.ई. सैक्टर पर, जिससे भारत में निर्मित माल, विश्व की सप्लाई शृखंला का हिस्सा नहीं बन पा रहा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के तेजी से बढ़ते क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) सिस्टम की अब तक की सबसे तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि जिसे आधिकारिक तौर पर स्टैंडर्ड और सुरक्षा अभ्यास के रूप में पेश किया जा रहा है, वह असल में संरक्षणवाद का सीधा हथियार बन गया है, जो प्रतिस्पर्धा, रोजगार और एमएसएमई को नुकसान पहुँचा रहा है।

‘पॉडकास्ट “यो” में मोनिका हलान से बातचीत करते हुए कांत ने कहा कि क्यूसीओ का व्यापक और बेतहाशा विस्तार, जो अब 760 से अधिक उत्पादों और क्षेत्रों को कवर करता है, “संरक्षणवाद का सबसे खराब रूप” है।

- क्वालिटी कंट्रोल के यह मापदंड 760 प्रोडक्ट्स व सैक्टर पर लगाये गए हैं तथा ज्यादा वेदना का विषय यह है कि ये मापदंड “इनपुट” (निर्माण) में काम आने वाले सामान पर लागू किए गये हैं। मापदंडों की पालना से भारतीय सामान महंगा होता जा रहा है तथा अन्य प्रतिस्पर्धी देश अपना सामान भारत की तुलना में सस्ता बेच रहे हैं और भारत अपना निर्यात बढ़ाने का सुअवसर खोता जा रहा है।

खासतौर पर इसलिए, क्योंकि इनमें से कई आदेश अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं, बल्कि कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और पुर्जों पर लगाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यहीं पर भारत खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

कांत के मुताबिक, इनपुट्स (उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल) पर बाधाएँ बढ़ाकर क्यूसीओ गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं की तरह

काम करते हैं। इससे आयात सीमित होता है और घरेलू निर्माताओं के लिए लागत बढ़ जाती है। कांत ने कहा, इसका सबसे ज्यादा बोझ एमएसएमई पर पड़ता है, जिनके पास न तो इतनी बड़ी क्षमता होती है और न ही सौदेबाजी की ताकत कि वे ऊँची इनपुट कीमतों या जटिल अनुपालन नियमों को आसानी से झेल सकें। नतीजा यह होता है कि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक वैल्यू चेन में कम

प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं, जिससे सरकार द्वारा समर्थित मैनुफैक्चरिंग और निर्यात महत्वाकांक्षाएँ ही कमजोर होती हैं।

कांत ने कहा कि समस्या अब सीमित या लक्षित हस्तक्षेप तक नहीं रही है, बल्कि यह बेकाबू विस्तार का रूप ले चुकी है। बोते एक साल में ही सैकड़ों नए क्यूसीओ जारी किए गए, वह भी अक्सर बिना पर्याप्त परामर्श के। इससे विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट लागत बढ़ी है, मुनाफे के मार्जिन सिमटे हैं और कंपनियाँ वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से जुड़ने से हतोत्साहित हुई हैं। कुछ खास उत्पादों के लिए सीमित क्यूसीओ को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन मौजूदा “बेलगाम” फैलाव, उनके अनुसार, कच्चे माल और पुर्जों को बेवजह महंगा बनाकर भारत की विकास कहानी को नुकसान पहुँचा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक के ईडी केस के आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, 18 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने ये आदेश

- हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी पक्ष के वकील के पेश नहीं होने के कारण निचली अदालत में आरोप तय नहीं हो पाए।

आरोपी राजाराम उर्फ इरम की द्वितीय जमानत याचिका खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को अभियोजन साक्ष्य छह माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील के पेश नहीं होने के कारण आरोप तय नहीं हो सका। वहीं, अन्य सह आरोपियों ने भी दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि उपलब्ध कराने के लिए कई आवेदन दायर किए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन पर विधिवत निर्णय पारित किया गया। ऐसे में मुकदमे में देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की एसएलपी खारिज करते हुए निचली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

- बताया जा रहा है कि, सांभरझील के नजदीक नावा तहसील में 100 मैगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए स्थायी निर्माण किए जा रहे हैं, जबकि अदालत ने हर तरह के स्थायी निर्माण पर रोक लगा रखी है।

सहायक अधिवक्ता अमित मालानी पैरवी के लिए पेश हुए थे। ये आदेश हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस एस.पी.शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल हैं, ने दिए हैं।

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में सांभरलेक और उसके “वैटलैंड” एरिया का संरक्षण करने के

संबंध में स्वतः प्रसंज्ञान लिए गए मामले में कई महत्वपूर्ण आदेश दिए थे, जिनमें राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये थे कि सांभर झील के आसपास वैटलैंड तथा वन्यजीव क्षेत्र में किसी भी तरह का पक्का निर्माण नहीं हो।

इन अदालती आदेशों के मद्देनजर अब याचिकाकर्ता दिनेश कुमावत ने भी

यह दलील पेश की है कि सांभरझील के आसपास स्थायी निर्माण किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि यह पक्का निर्माण नावा तहसील में खसरा नंबर 1174 पर 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के तहत किया जा रहा है।

अधिवक्ता अमित मालानी ने अदालत को बताया कि यह निर्माण कार्य वैटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम-2017 के विपरीत हो रहा है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने इस

प्रकरण से संबंधित नोटिस राज्य सरकार की ओर से प्रहण किए हैं और वहीं केन्द्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) भरत व्यास पैरवी के लिए पेश होंगे।

इस प्रकरण में अभी सांभर सॉल्ट लेक प्रबंधन समिति, जो कि वन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एजेंसी है, की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त विवादित निर्माण वैटलैंड क्षेत्र अथवा वन्य क्षेत्र में आता है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को तय की है।

सरिस्का के बफर ज़ोन में आग लगी

अलवर, 18 दिसम्बर। अलवर शहर से लगते सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर ज़ोन के जंगल में देर रात करीब 8 बजे अलाव की चिंगारी से आग लग गई, जिसके कारण वनकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। दरअसल, बफर ज़ोन के जंगल में 10 से अधिक टाइगर और 30 से अधिक लेपर्ड हैं। वनकर्मियों और दमकलकर्मियों ने मिलकर रात करीब सवा बजे आग बुझाई। आमजन ने घरों की छत से वीडियो भी बनाए।

सरिस्का के एक कर्मचारी ने बताया, चौबुर्जा के आसपास के जंगल में ऊंची पहाड़ी पर आग की लपटें जब

- सौ हैक्टर में लगी आग पाँच घंटे में काबू में आई।

शहर में घरों की छतों से साफ नजर आने लगीं, उसके बाद आग लगने का पता चला। फिर तुरंत वनकर्म सागर की तरफ से पहाड़ी पर चढ़े। करीब 20 से 30 कर्मचारियों ने मिलकर आग को बुझाया।

दमकल भी मौक़े पर पहुँची। लेकिन उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके कारण दमकल का कोई उपयोग नहीं हो सका। मोहल्ले के कुछ लोग भी वनकर्मियों के साथ आग बुझाने के लिए पहाड़ पर चढ़े।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)